फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती बाबरीबाई | **विपक्षी : श्रीमती केशर**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 11/23**

जीसीएमएस : 2023/32

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 19.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 46 पर दर्ज आराजी नम्बर 653, 675, 70, 74, 75, 79, 954 किता 7 कुल रकबा 2.2905 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया व विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीया एवं विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रही हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीया एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि सिर्फ विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि का मौका परिवर्तन एवं विक्रय हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 19.01.2023 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में [illegible] स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:50 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 46 पर दर्ज आराजी नम्बर 653, 675, 70, 74, 75, 79, 954 किता 7 कुल रकबा 2.2905 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:50 IST
Reason: SelfAttested